**प्रेस नोट संख्या- 39**
**दिनांक 23.08.2025**
**सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस**
**थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल (सरिया मोड़ने वाला लोहे का 01 कुन्द हथियार, 01 खुर्पी व 01 बांस का डंडा) बरामद एवं 02 नफर बालअपचारी को नियमानुसार निगरानी में लिया गया।**

**घटना का संक्षिप्त विवरण –** दिनांक 21.08.2025 को वादी श्री जगराम सरोज पुत्र स्व0 नान्हूराम सरोज नि0 ग्राम गुन्नौर थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक जनपद अमेठी द्वारा थाना मुसाफिरखाना पर लिखित तहरीर दी गयी कि खेत में निराई का काम कर रही उनकी बहन रामादेवी पत्नी स्व0 उदयराज उर्फ भुसुंडी व भांजा आकाश सरोज पुत्र स्व0 उदयराज उर्फ भुसुंडी निवासी ग्राम पूरे भवन मजरे रुदौली थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी को बहन रामादेवी के देवर रामराज उर्फ राजू सरोज पुत्र स्वामीनाथ सरोज द्वारा खेत में दवा डालने से फसल खराब होने की बात को लेकर अपनी पत्नी रामलली व दो पुत्रियों के साथ मिलकर दिनांक 21.08.2025 को दिन में समय करीब 11:00 बजे लाठी, डण्डा, कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया गया, जिन्हें सीएचसी मुसाफिरखाना ले जाते समय मृत्यु हो गयी। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुसाफिरखाना पर मु0अ0सं0 229/25 धारा 103(1), 352 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा संबन्धित को आवश्यक आदेश/निर्देश दिये गये थे।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 23.08.2025 को क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों की तलाश व देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित 02 अभियुक्तों 1.रामराज उर्फ राजू सरोज पुत्र स्वामीनाथ सरोज उम्र 42 वर्ष व 2.रामलली पत्नी रामराज सरोज उर्फ राजू सरोज उम्र 40 वर्ष निवासीगण ग्राम पूरे भवन मजरे रुदौली थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के साथ उक्त अभियोग से संबंधित 02 नफर बाल अपचारी को नियमानुसार पुलिस निगरानी में लिया गया। तलाशी से अभियुक्त रामराज उर्फ राजू सरोज के कब्जे से एक झोले से सरिया मोड़ने वाला लोहे का 01 कुन्द हथियार, 01 खुर्पी व हाथ से 01 बांस का डण्डा बरामद हुआ। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 21.08.2025 को समय करीब 11:00 बजे खेत में काम कर रही रामादेवी व आकाश सरोज की इन्हीं लोहे के हथियार, खुर्पी व बांस के डण्डे से मार-मार कर हत्या कर दी थी। पूछताछ में दोनों बाल अपचारी द्वारा उक्त घटना में रामादेवी व आकाश सरोज को लात घूंसों से मारने की बात स्वीकार की गई। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –**

1. रामराज उर्फ राजू सरोज पुत्र स्वामीनाथ सरोज उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम पूरे भवन मजरे रुदौली थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
2. रामलली पत्नी रामराज सरोज उर्फ राजू सरोज उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम पूरे भवन मजरे रुदौली थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।

**बरामदगी- (आलाकत्ल)**

- सरिया मोड़ने वाला लोहे का 01 कुन्द हथियार
- 01 खुर्पी
- 01 बांस का डण्डा

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 229/25 धारा 103(1), 352 बी0एन0एस0 थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।

**गिरफ्तार करने वाली टीम –**

1. श्री विवेक कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
2. का0 विवेक सिंह चौहान थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
3. का0 शिवम सविता थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
4. महिला आरक्षी स्वाती चौहान थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
5. महिला आरक्षी किरन पाल थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।